

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत :- जिला कलेक्टर पाली

- | | | |
|--|-------------|---|
| <p>पार्थी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> गणाराम पुत्र सवाजी देवासी जोगाराम पुत्र प्रभुजी देवासी नगाराम पुत्र जेपारामजी देवासी टिकमाराम पुत्र धुलाजी घोंची <p>निवासीगण ग्राम कोसेलाव, तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)</p> | <p>बनाम</p> | <p>अप्रार्थीगण :-</p> <ol style="list-style-type: none"> राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार सुमेरपुर (राज.) ग्राम पंचायत कोसेलाव, जरिये सरपंच, तहसील सुमेरपुर जिला पाली |
|--|-------------|---|

राजस्व विविध 63/2018

आर.सी.एम.एस. नम्बर :- 2018/00 400

अन्तर्गत धारा 235 राज. काश्तकारी अधिनियम

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
01.10.2018	<p>पार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व विविध संख्या 05/2017 अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. बअनवान गणाराम बनाम तहसीलदार सुमेरपुर को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करवाने हेतु पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण जरिये सम्मन एवं अधीनस्थ न्यायालय से पैरावाईज टिप्पणी मय पत्रावली तलब कर पत्रावली दिनांक 26.11.2018 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>र</i> जिला कलेक्टर, पाली</p>	<p>1425-24 15-10-18</p>
26/11/18	<p>वकील प्रार्थी उप। अप्रार्थी संख्या 1 का नीति बाद नामील प्र। श्रीमान जी ओ साहब चुनाव कार्यों में व्यवस्त होने से पत्रावली दिनांक 21.11.18 को पेश हो।</p>	
21/11/19	<p>वकील प्रार्थी उप। उपरखण्ड अधिकारी सुमेरपुर से पत्रावली एवं पैरावाईज टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। पुनः लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 19/3/19 को पेश हो।</p>	<p>124 18-1-19</p>
19/3/19	<p>श्रीमान जी ओ साहब चुनाव कार्यों में व्यवस्त होने से पत्रावली दिनांक 14/5/19 को पेश हो।</p>	
14/5/19	<p>वकील प्रार्थी उप। अह प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के न्यायालय में विचाराधीन विचाराधीन राजस्व विविध प्रकार सं 5/2017 पं 144 C.P.C. बअनवान गणाराम बनाम तह सुमेरपुर को अन्तर्गत न्यायालय में स्थानान्तरित करके हेतु पेश किया गया। तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी को आश्रयित करते हुए प्रकार स्थानान्तरण - वाद्य प्रा तत कार्कि उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर का स्थानान्तरण हो जाने से अह प्रार्थना पत्र infertous हो जाने से स्वारिज किया जाता है। पत्रावली सुमाट फॉर्म की जाकर नम्बर में कम है।</p>	

जिला कलेक्टर, पाली